30/11/81

पत्रावली मात्र प्रशासन गांव के लिए अधिकृत किया जाकर पेश हुई। मजमून कार्यवाही नहीं गई तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का महाराष्ट्र के अवलोकन व अध्ययन किया गया। आवेदन कर्ता प्रार्थीगण व विपक्षीगण के नाम खातेदारी दर्ज है दिनांक खुले हुए सीमाओं का ज्ञान मूल वाद के परिवाद के नाम होने लिखे मूल वाद के रिकार्ड खातेदारान की विपक्षता के पालन किया जाना न्यायालय विचित वादी संलग्न है लिहाजा एक न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम निषेधाज्ञा दिनांक 12/07/19 निरस्त कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 212 RTA अस्वीकार कर खारिज किया जाता है पत्रावली निर्णय सुनाए होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.02.13 14:10:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO (गुडामालानी)